

08/01/2021

पत्रावली पैरा हुई। काज रीटर्न अदिकारी
दिनर कार्यो में व्यस्त/अवकाश पर होने से
पत्रावली ईलुवा होकर दिनांक 12/02/2021
को पैरा हो।

4

12/2/21

पत्रावली पैरा। तहसीलदार सौ
भौका रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल
मिलान की गई। पत्रावली वाला
आपका बैंक 19/2/21 को
पैरा हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावडी

19/02/2021

पत्रावली पैरा हुई। वकील प्रार्थी
उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बहस में
कथन किया कि राजस्व ग्राम सेवकी
खुर्द के ^{अधिकार} सं. 42 रकबा 9 बीघा
04 बिस्वा कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता का
नाम कल्याण राम के स्थान पर तिलाराम
राम दर्ज था। प्रार्थी के पिता का सही
नाम कल्याण राम है परन्तु राजस्व कर्मचारियों
से त्रुटिवश तिलाराम पुत्र श्री कनीराम दर्ज
कर दिया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता ने राजस्व ग्राम
सेवकी खुर्द के खं. सं. 42 में तिलाराम पुत्र
श्री कनीराम के स्थान पर कल्याण राम
पुत्र श्री कनीराम शुद्ध कर दर्ज करवाने
का आदेश दिलाने काबल निवेदन किया।
प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुना गया।
पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया।
प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया
गया।


बाद अवलोकन, अध्ययन एवं मनन के

Handwritten signature

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

प्रहरी न्याय के सिद्धान्त के आधार
 पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत द्वारा
 136 RLR Act को स्वीकार किया जाता
 है। तदनुसार बावड़ी को आदेश दिया
 जाता है कि तहसीलदार बावड़ी से
 मसौदा जॉय रिपोर्ट के अनुसार राजस्व
 वन सेवकी खुर्द के खसरा सं 42 रकबा
 03 बीघा 04 बिस्वा बरानी तृतीय
 जिल्दारी कब्जाकाशत कृषि भूमि के राजस्व
 रिकॉर्ड में लिलाराम पुत्र कनीराम को
 संशोधित कर उसके स्थान पर कल्याण
 राम पुत्र कनीराम खुर्द कर राजस्व
 रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।
 तदनुसार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मसौदा
 जॉय रिपोर्ट इस आदेश का भाग रहेगी।
 तदनुसार बावड़ी को आदेश पालनार्थ
 जारी है।

पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर
 से कम होकर दाखिल दफ्तर है।
 फंसल खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी